

# सलातुल जनाज़ा

## 102 चेक लिस्ट

### शेख अरशद बशीर मदनी

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani  
Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.  
Founder & Director of AskIslamPedia.com



## मौत के बाद की ज़िंदगी की तय्यारी मोमिनाना अखीदे की अलामत

1. मौत की आरजू करना ना जायज़ है। (बुखारी:7235)

2. शदीद तकलीफ या मुसीबत की वजह से मौत की आरजू ना करे  
और अगर इसके बगैर चारा नज़र ना आये तो यूं कहना चाहिए :

अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली, वतवप्फनी  
इजा कानतिल वफ़ातु खैरल ली।

तरजुमा : या अल्लाह मुझे उस वख्त तक जिंदा रख जब तक मेरे जिंदा रहने में भलाई है और मुझे उस वख्त वफात दे जब वफात में मेरे लिए भलाई हो। **(बुखारी:6351)**

और ये दुआ की भी वसीयत की मुहम्मद ﷺ ने :

**अल्लाहुम्मा इन्ननी असअलुक फीलल खैराति, व तर्कल मुन्कराती, व हुब्बल मसाकीनि, व अन तघ्फिर्ली, व तर्हमनी, व इजा अरत्त फितता खौमी फतवप्फनी गैर मफ्तूनि, व असअलुक हुब्बक, व हब्ब मन युहिय्युक, व हुब्ब अमलि युखरिंबुनी इलै हुब्बिक। (तिरमिज़ी:3235)**

तरजुमा : "ए अल्लाह! मैं तुझ से भले कामों के करने और मुन्किरात (ना पसंदीदा कामों) से बचने की तौफीख तलब करता हूँ, और मसाकीन से मुहब्बत करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ के मुझे माफ़ करदे और मुझ पर रहम फरमा, और जब तू किसी खौम को आजमाइश में डालना चाहे, तो मुझे तू फितने में डालने से पहले मौत दे दे, मैं तुझसे और उस शख्स से जो तुझसे मुहब्बत करता हो, मुहब्बत करने की तौफीख तलब करता हूँ, और तुझ से ऐसे काम करने की तौफीख चाहता हूँ जो काम तेरी मुहब्बत के हुसूल का सबब है।"

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : "ये हख है, इसे पढ़ो, याद करो और दूसरों को पढ़ाओ सिखाओ।"

3. मौत को कसरत से याद करना चाहिए। **(सहीह तिरमिज़ी:2307)**

हमेशा आखिरत का तोशा तय्यार करने की फिकर करना और नफ्स का तजकिया करते रहना और हुखूख उल्लाह व हुखूख उल इबाद हत्तल मखरूर अदा करते रहना।

## quran aayat

तरजुमा : बेशक उसने फला पा fatvaaली जो पाक हो गया (14) और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज़ पढ़ता रहा (15) लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िन्दगी को तरजी देते हो (16) और आखिरत बहुत बेहतर और बहुत बखा वाली है (17)| **सूरह नाम**

खुरआन का नाम अज ज़िक्र भी है, यानी खुरआन तज्कीर करता है और याद दिलाता है के दुनिया में खोकर मरने के बाद की ज़िन्दगी की तयारी ना करना नाकामी है। मुहद्दीसीन ने भी किताब में लिखी है **अल जहदह** के नाम से उनको पढ़ना चाहिए और इसी तरह इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इन किताबों में से सहीह और जामे अहादीस को सहीह बुखारी में किताब अल रिफाख के नाम से जमा फ़रमाया है। उनको पढ़ते रहना और सालेह माहौल में रहना अपनी दीनी ज़िन्दगी की हिफाज़त करना ज़रूरी है।

4. मरने वाले के खरीब बैठ कर ला इलाहा इल्लल्लाह की तल्खीन करना मसनून है। **(मुस्लिम:917)**

शेख इब्ने उसैमिन ने कहा के तल्खीन दो तरह से है। 1) पढ़ो कहना अगर मौत के खरीब वाला इंसान आसानी से अमल की हालत में हो। 2) सिर्फ खरीब पढ़ कर पढ़ना, हुकुम ना देना अगर मौत के खरीब वाला इन्सान बे चैन हो।

5. मरते वख्त कलिमा पढ़ना बाअस नजात है। **(सहीह अबू दावूद:3116)**

6. मौत के वख्त पेशानी पर पसीना आना ईमान की अलामत है। **(सहीह तिरमिज़ी:982)**

7. जुमा की रात या जुमा के दिन की मौत फितना खबर (खबर के सवालात) से नजात का बाअस है। **(सहीह तिरमिज़ी:1074)**

8. मौत के वख्त आदमी को अपने माल का एक तिहाई से कम की वसीयत करना जायज़ **(मुस्लिम:1668)**, और कोई मौत के वख्त बीवी को तरके से महरूम करने के लिए तलाख देता है तो तरके से औरत को महरूम नहीं किया जा सकता।

### **वफात होने के बाद हाजरीन क्या करे?**

9. तख्दीर पर सबर व रजा और मुसीबत पर ये दुआ पढ़े :

**इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्म अजुरनी फी मुसीबती, व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। (सहीह मुस्लिम:918)**

तरजुमा : "यखीनन हम अल्लाह के है और उसी की तरफ लौटने वाले है, ए अल्लाह! मुझे मेरी मुसीबत पर अजर दे और मुझे (इसका) इससे बेहतर बदल अता फरमा।"

और बिदात से बचे जैसे सूरह यासीन की तिलावत को मसून समझना, वफात के वख्त या मुर्दा के पास अल फातिहा पढना और इसी तरह मय्यित को खिबला रुख लेटाना, ये सब ग़लत है।

10. मरने के बाद मय्यित की आँखे बंद कर देनी चाहिए। **(अल सिल्सिलतुल सहीहा:1092)**

11. मय्यित को चादर ढांप देना चाहिए **(बुखारी:5814)**, सिवाए अहराम की हालत में मरने वाले को सर और पैर ना ढांपे (शेख

अल्बानी का फ़तवा सहीह मुस्लिम की रिवायत की बुनियाद पर), तजहीज़, तक्फ़ीन व तदफ़ीन में जल्दी करना। **(सहीह बुखारी)**

12. मौत की खबर मुताल्लिखीन को भिजवाना मसनून है। **(मुस्लिम:951)**, लेकिन ग़ैर मुताल्लिखीन में, गली कूचो में ऐलानात करवाने के रिवाज से बचना।

13. हालात ए ग़म में मय्यित पर रोना, चीखना, चिल्लाना और मातम करना मना है **(बुखारी:1294)**, अगर मरने वाला नौवा और मातम करने की वसीयत करे तो नौवा का अज़ाब मय्यित को होगा **(बुखारी:1286)**, जिस घर में मातम और नौवा करने की रस्म हो, उस घर में मरने वाला अगर अपने मरने से पहले नौवा करने से मना ना करे तब भी मरने के बाद नौवा करने वालो का अज़ाब मय्यित को होगा **(मुस्लिम:933)**, मौत पर सबर करने की जजा जन्नत है **(सहीह इब्ने माजह:1308)**, खाबिले सवाब सबर वही है जो सदमा के फ़ौरन बाद किया जाये। **(सहीह इब्ने माजह:1308)**

14. मय्यित को बोसा देना जायज़ है **(बुखारी:5709)** और मय्यित पर ख़ामोशी से रोना, आँसू बहाना जायज़ है **(बुखारी:1285)**, सबर करना जहन्नम की आग से रुकवाट और जन्नत में घर हासिल करने का जरिया है। **(सहीह तिरमिज़ी:1021)**

15. अहले ईमान के फ़ौत होने वाले बच्चे जन्नत में जाते है **(बुखारी:3255)** और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगरानी में रहते है (बड़ी तसल्ली है सरपरस्त के लिए), मौत के बाद मोमिन मिया बीवी का बाहम ताल्लुख खायम रहता है **(सहीह तिरमिज़ी:3880)**, सूरह निसा की आयत 11, 12 में तरके में बीवी का हिस्सा भी दलील है।

## ताजीब व अहराद (तसल्ली व सोग) में फख्र और मायल

16. ताजियत करना सुन्नत है। (उरवा अल घलील:3/217 हसन) शेख बिन बाज़ व शेख अल्बानी ने कहा, ताजियत के अलफ़ाज़ **मुतय्यिन** नहीं जो भी जायज़ मशरू कलिमात से तसल्ली हासिल हो जाए काफी है, लेकिन मसनून कलिमात ये है :

**इन्ना लिल्लाही माँ अखज़, वलहु मा आती, व कुल्लुन इन्दहु बि अजलिन मुसम्मा, फल तसबिर वल तहतसिब – (बुखारी:1284, मुस्लिम:923)**

तरजुमा : अल्लाह ताला ही का सारा माल है। जो ले लिया उसी का था और जो उसने दिया वो भी उसी का था और हर चीज़ असकी बारगाह से वख्त मुखररा पर ही वाखई होती है। इसलिए सबर करो और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखो।

बाज़ अहले इल्म से ये भी साबित है : **अज्ज़मल्लाह अज़्रक, व अहसनल्लाह अजाक, वघ्फिरुल्लाह लमीतक।**

तरजुमा : अल्लाह आप को बेहतररीन अज़्र दे, आप की बेहतररीन ताजियत करे और आप की मय्यित की मघ्फिरत फरमाये।

17. मय्यित के विरसा के ताजियत करने के दौरान मय्यित के लिए दुआ मघ्फिरत ना भूले, मसनून अल्फाज़ दर्जे जेल है :

**अल्लाहुम्मघफिरली फुलानिन (बासमिहि), वरफा दरजतहु फिल मह्दिय्यीन, वखलुफहु फी अखिबिहि फिल घाबिरैन, वघफिरलना वलहु या रब्बल आलमीन, वफ्सह लहु फी खब्रिहि वनव्विर लहु फीह।**

तरजुमा : या अल्लाह (मय्यित का नाम ले) को बख्श दे, हिदायत आफता लोगो में उसका मरतबा बुलंद फरमा और उसके **पसमांदगान** की हिफाज़त फरमा, या रब्बुल आलमीन! हम सब को और मरने वाले को माफ़ फरमा, मय्यित की खबर कुशादा करदे और उसे नूर से भर दे। **(मुस्लिम:920)**

18. मय्यित के लिए दुआ करते वख्त अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। **(मुस्लिम:920)**

19. मय्यित के पास बैठ कर भलाई की बातें करनी चाहिए। **(मुस्लिम:920)**

20. सोग सिर्फ औरत का हख है, मर्द के लिए जायज़ नहीं **(शेख सालेह अल फौजान)**, औरत के लिए किसी भी अज़ीज़ या रिश्तेदार की मौत पर तीन दिन से ज्यादा सोग जायज़ नहीं, सिवाए शौहर के लिए सोग। **(हदीस में अलफ़ाज़ है:अहदाद) (बुखारी:1279)**, औरत को अपने शौहर की मौत पर चार माह दस दिन से ज्यादा सोग नहीं करना चाहिए **(बुखारी:1280)**। सोग में काला या सफ़ेद रंग के कपडे पहनना ग़लत है, सादा आम लिबास पहन सकते हैं, जो जैब व जीनत से खाली हो **(शेख सालेह अल फौजान)**, जिस घर में वफ़ात हो उनके यहाँ खाना पका कर भेजना सुन्नत है **(सहीह इब्ने माजह:1316)**। तसल्ली देने वाले जुमले कहना या खाना भेजना इसके लिए मुद्दत तै नहीं। जब खबर मिले घर वालो को जाकर तसल्ली दे सकते हैं **(शेख बिन बाज़)**, ताजियत के मौखे पर चीखना, कपडे फाड़ना, मातम करना मना है **(बुखारी:1306)**, **अहले मय्यित को बड़े या छोटे खाने का इहतेमाम करना मना है (doubt) (सहीह इब्ने माजह:1318)**।

## कफ़न के इंतेज़ाम की फज़ीलत

21. जिसने कफ़ना, या अल्लाह ख़ियामत के दिन उसे बेहतरीन कपडे पहनाएंगे जो **संदस** और **इस्तबरख** के होंगे (यानी बेहतरीन रेशम के होंगे)। **(सहीह तर्घीब:3492)**

22. जो दफ़नायेगा अल्लाह उसे एक **मस्कन** का अजर देंगे, जिसमे वो ख़ियामत तक आराम करेगा और जिसने सतर पोशी की चालीस मरतबा उसकी मघ्फ़िरत होगी। **(सहीह तर्घीब:3492)**

## घुस्ल मय्यित के मसायेल

23. वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, मय्यित को घुस्ल देने से पहले अच्छी तरह टटोलना चाहिए ताके अगर पेट में **फजलह** वगैरा हो तो वो ख़ारिज हो जाए और जिस्म अच्छी तरह पाक साफ़ हो जाए **(अहकाम अल जनायेज़:186)**, मय्यित को घुस्ल तीन मरतबा या फिर मुनासिब तादाद में घुस्ल दे और वितर के अदद से घुस्ल दे।

24. मय्यित के घुस्ल का आगाज़ वजू से करना चाहिए। **(बुखारी:167)**

25. घुस्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में बेर के पत्ते डालना मसनून है। (या फिर सफ़ाई के लिए साबुन इस्तेमाल करे)

**(बुखारी:1263)**

26. आखरी बार घुस्ल देने के लिए पानी में काफूर डालना मसनून है। (सिवाए इह्याम की हालत में इन्तेखाल करने वाले के)

**(बुखारी:1263)**



27. मय्यित खातून हो तो घुस्ल के बाद सर के बालो की तीन चोटिया बनाकर पीछे डाल देनी चाहिए। (घुस्ल के बाद चोटिया खोल कर अच्छी तरह साफ़ करे) **(बुखारी:1263)**



28. मय्यित को घुस्ल देने के बाद घुस्ल करना मुस्तहब है **(सहीह तिरमिज़ी:993, बुखारी:4079)**, घुस्ल देने की बड़ी फज़ीलत है, बशर्त ये के वो सतर पोशी से काम ले और खालिस अल्लाह की खुशनूदी के लिए घुस्ल दे। **(सहीह उल जामे:6403)**

29. घुस्ल देते वख्त एक कपडे की थैली हाथ में बाँध कर एक ढापने वाले कपडे के नीचे से मय्यित के सारे कपडे निकालने के बाद घुस्ल दिया जाये।

30. मरहूम (इहराम की हालत में इन्तेखाल करने वाले) को खुशबू ना दी जाये। **(बुखारी:1851)**

31. घुस्ल जो सुन्नत को ज्यादा जानने वाला हो खास तौर पर खरीबी रिश्तेदार और खानदान वाले घुस्ल दे।




**मय्यित के घुस्ल का तरीखा तसावीर की जुबानी**



رغوة السدر يغسل بها رأس الميت



خرقة عليها نقش تكون كالخطاطة تسد فرجي الميت



تسد الفجوات التي بين اللبن

## घुस्ल के वख्त इन बिदतो से बचना ज़रूरी है

32. घुस्ल देने की जगह खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, तीन रात रखना बिदत है। और इसी तरह उस जगह शमा या खंदील या रौशनी रखना, तीन दिन या उससे भी ज्यादा दिन तक का अहतेमाम करना बिदत है।
33. हर आज़ा के लिए मखसूस ज़िकर करना बिदत है।
34. घुस्ल देते वख्त ज़ोर से दुआ पढ़ना बिदत है।
35. औरत की चोटियों को सीने पर डालना खिलाफे सुन्नत है, बलके पीछे डालना चाहिए।

## कफ़न के मसायेल

36. ज़िन्दगी में जो मय्यित का सरपरस्त हो वही कफ़न तैयार करने का ज़िम्मेदार है **(सहीह तिरमिज़ी:995)**, किसी मोहताज या बे सहारा मय्यित के लिए कफ़न तयार करने वाले को अल्लाह खियामत के दिन **संदस** का लिबास पहनाएंगे। **(सहीह अल जामे:6403)**
37. कफ़न सफ़ेद **(बुखारी:1264)**, साफ़ सुथरा। (मय्यित को ऊद का धुआ दिया जाए और कपडे मुतवासित हो, ज्यादा महंगे ना हो)। **(सहीह तिरमिज़ी:995)**
38. मर्द को तीन कपड़ों में कफ़न देना मसनून है। **(बुखारी:1264)**, मशहूर ये है के औरत को पांच कपड़ों में कफ़न दिया जाये, लेकिन

शेख अल्बानी ने किताब अल जनायेज़ में साबित किया के अददे कफ़न मर्द व औरत के लिए फ़र्ख़ नहीं।

39. मय्यिते ज्यादा और कफ़न कम होने की सूरत में एक कफ़न में एक से ज्यादा मय्यिते दफ़न की जा सकती है। **(बुखारी:1347)**

40. मुहर्रिम को अहराम की उन्ही चादरों में कफ़न देना चाहिए जो उसने पहन रखी हो। **(सहीह नसाई:1903)**

41. मुहर्रिम और शहीद के अलावा बाखी माय्यितो पर घुस्ल और कफ़न के बाद खुशबू लगानी जायज़ है। **(सहीह नसाई:1903)**

42. किसी नबी, वली या बुजुर्ग के लिबास का कफ़न मरने वाले को अज़ाब से नहीं बचा सकता। **(बुखारी:5796)**

43. कफ़न बनाने, खबर खोदने और घुस्ल देने की उजरत मय्यित के माल से अदा करना जायज़ है। इसके बाद खर्ज अदा करना चाहिए, फिर वसीयत पूरी करनी चाहिए, फिर तरके की तख़सीम।

44. कफ़न पर दुआ ए कलिमात लिखना साबित नहीं।

## **नमाज़ ए जनाज़ा के मसायेल**

45. नमाज़ ए जनाज़ा पढ़ने का सवाब एक उहद पहाड़ के बराबर है। **(बुखारी:1325) (फ़र्ज़ ए किफ़ाय)**

46. जिस जनाज़े के साथ खिलाफे शरियत काम हो उसके साथ जाना मना है। **(सहीह इब्ने माजह:1297)**

47. जनाज़े के साथ आग वग़ैरा ले जाना मना है। **(सहीह अबी दावूद:3171)**

48. जनाज़े के साथ ऊंची आवाज़ में कलिमे तय्यिबा का विर्द करना या खुरआनी आयात पढ़ना मना है। **(अहकाम उल जनायेज़:92)**

49. नमाज़ ए जनाज़ा में सिर्फ खियाम है, जिसमे चार तकबीरे है, ना रुकू है ना सजदा है। **(बुखारी:1333)**

50. पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ना मसनून है।  
**(बुखारी:1335)**

51. पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और कोई ज़म्मी सूरह पढ़े, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद जनाज़े की दुआ और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरना वाजिब है। **(उर्वा उल घैल:734, सहीह)**

52. नमाज़ ए जनाज़ा में आहिस्ता या बुलंद आवाज़ दोनों तरह से खिरात करना दुरूस्त है। **(सहीह नसाई:1986)**

53. सूरह फातिहा के बाद खुरआन का कोई दूसरा सूरह साथ मिलाना भी जायज़ है। **(सहीह नसाई:1986)**

54. तीसरी तकबीर के बाद मुन्दर्जा जेल दुआओ में से कोई एक या दोनों दुआये मांगनी चाहिए। **(सहीह इब्ने माजह:1226, मुस्लिम:963)**

1. "अल्लाहुम्मघफिरली हय्यिना व मय्यितिना, व शाहिदिना व घाइबिना, व सघीरिना व कबीरिना, व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्म मन अह यैतहु मित्रा फअह यिही अलल इस्लामी, व मन तवफ्फैतहु मित्रा फतवफ्फहुअलल ईमान, अल्लाहुम्म ला तहरिम्रा अज़हु वला तुज़िल्लना बादहु।" (सुनन इब्ने माजह:1498)

तरजुमा : ए अल्लाह! हमारे ज़िन्दो को, हमारे मुर्दों को, हमारे हाज़िर लोगो को, हमारे घायब लोगो को, हमारे छोटे को, हमारे बड़े को, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को बख़्श दे, ए अल्लाह! तू हम में से जिसको जिंदा रखे उसको इस्लाम पर जिंदा रख, और जिसको वफ़ात दे, तो ईमान पर वफ़ात दे, ए अल्लाह! हमें इसके अजर से महरूम ना कर, और इसके बाद हमें गुमराह ना कर।

**2. “अल्लाहुम्मघ फिरलहू वर हमहू, व आफिही वाफु अन्हु, व अक्रिम नुजुलहू व वस्सी मुदखलहु, वघसिल्हु बिल माइ वस्सलजि वल बरदि, व नक्खिही मिनल खताया कमा नख्खैतस सौबल अबयज मिनद्नसी, व अबदिल्हू दारन खैरन मिन दारिहि, व अहलन खैरन मिन अहलिहि, व जौजन खैरन मिन जौजिही, व अदखिल्हुल जन्नत व अइजहु मिन अजाबिल खबरि व मिन अजाबित्रार।” (सहीह मुस्लिम:963)**

तरजुमा : ए अल्लाह! इसे बख़्श दे, इस पर रहम फरमा और इसे आफियत दे, इसे माफ़ फरमा और इसकी बा इज्ज़त जियाफत फरमा और इसके दाखिल होने की जगह (खबर) को वसी फरमा और इस (के गुनाहों) को पानी, बरफ और ओलो से धो दे, इसे गुनाहों से इस तरह साफ़ करदे जिस तरह तू ने सफ़ेद कपडे को मैल कुचल से साफ़ किया और इसे इस घर के बदले में बेहतर घर, इसके घर वालो के बदले में बेहतर घर वाले और इसकी बीवी के बदले में बेहतरीन बीवी अता फरमा और इसको जन्नत में दाखिल फरमा और खबर के अज़ाब से और आग के अज़ाब से अपनी पनाह अता फरमा।

**3. “अल्लाहुम्म इन्न फलान बिन फलान फी ज़म्मतिक व हब्ली जिवारिक, फखिही मिन फितनतिल खबरि, व अजाबित्रार, व**

**अन्त अहलुल वफाइ वल हम्दी, अल्लाहुम्म फघफिर लहु वर हमहु, इन्नक अन्तल घफूररहीम।” (अखरजह अबू दावूद:3202)**

तरजुमा : ए अल्लाह! फलान का बेटा फलान तेरी अमान में है, और तेरी हिफाज़त में है, तू इसे खबर के फितने और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, तू वादा वफ़ा करने वाला और लायख **सतायेश** है, ए अल्लाह! तू इसे बख़्श दे, इस पर रहम फरमा, तू बहुत बख़्शने वाला, और रहम फरमाने वाला है।

**4. “अल्लाहुम्म अब्दुक वब्नु अमतिक, अहताज इलै रहमतिक, व अन्त घनिय्युन अन अजाबिही, इन काना मुहसिनन फजिद फी हसनातिहि, व इन काना मुसीअन फतजावज अन्हु। (अहकामुल जनायेज़ ल अलबानी:125)**

तरजुमा : ए अल्लाह! ये तेरा घुलाम और तेरी बंदी का बेटा तेरी रहमत का मुहताज है, और तू इसे अज़ाब देने से घनी है, अगर ये अच्छा और नेक था तो इसकी नेकियो में इजाफा फरमा और अगर ये गुनहगार था तो इसके गुनाहों से दर गुज़र फरमा।

**अगर मय्यित अभी ना बालिघ हो तो ये दुआ पढ़े :**

**5. “अल्लाहुम्मज अल्हु लना फरतन व सलफन व अजरन। (सहीह बुखारी खब्लल हदीस:1335)**

तरजुमा : या अल्लाह! इस बच्चे को हमारा अमीर **सामान** और आगे चलने वाला, सवाब दिलाने वाला करदे।

**55. सलाम बिल बहर (बा आवाज़े बुलंद) कहकर नमाज़ ख़तम करनी चाहिए। (किताबुल जनायेज़:145)**

56. नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए इमाम को मर्द मय्यित के सर और औरत मय्यित के वस्त में ठहरा होना चाहिए। **(सहीह तिरमिज़ी:1034)**

57. नमाज़े जनाज़ा की तमाम तक्बीरो में हाथ उठाना जाएज़ है सुन्नत इब्र उमर से। **(किताबुल जनायेज़:148)**

58. नमाज़ में दोनों हाथ सीने पर बाँधना मसनून है। **(सहीह अबू दावूद:759)**

59. नमाज़े जनाज़ा में सिर्फ एक सलाम कहकर नमाज़ ख़तम करना या फिर दोनों तरफ सलाम कहकर नमाज़ ख़तम करना दोनों तरह जाएज़ है। **(अहकाम उल जनायेज़:163)**

60. लोगो की तादाद के मुताबिख सफे कम या ज्यादा बनायी जा सकती है। मुस्तहब ये है के इमाम के पीछे तीन सफे बनायी जाए अगर ज्यादा हो तो ताख अदद में। अगर 5 हो तो इमाम के पीछे 2 आदमी की एक सफ की शकल में दो सफ बनाले।

61. जिस मौहिद और मुत्तखी शख्स की नमाज़े जनाज़ा में चालीस मौहिद व नेक आदमी शिरकत करे अल्लाह उसकी मघ्फिरत फरमा देते है। **(मुस्लिम:948)**

62. मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढना जायज़ है। **(मुस्लिम:973)**

63. नमाज़े जनाज़ा उस इलाखे का वली या नायब वली या मुतवल्ली या जिम्मेदार मस्जिद या माशरे का बाअसर मालूमात वाला ज्यादा हखदार है ना के रिश्तेदार। **(किताबुल जनायेज़)**

64. औरत मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा कर सकती है। **(मुस्लिम:973)**



65. एक से जायद माय्थितो पर एक ही नमाज़े जनाज़ा पढनी चाहिए। मय्थित में मर्द और औरत हो तो मर्द की मय्थित इमाम के खरीब और औरत की मय्थित खिबले की तरफ होनी चाहिए। **(सहीह नसाई:1977)**

66. रसूलुल्लाह ﷺ ने खुदकशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी। अलबत्ता ज़ेरे असर (इमाम) के अलावा कोई और पढाये। **(मुस्लिम:978)**

67. हमल साखित (गिरगया) होगा हो और वो हमल चार माह मुकम्मिल कर चुका हो तो इस पर भी नमाज़े जनाज़ा जायज़ है, वाजिब नहीं। **(शेख अल्बानी)**

68. ना बालिघ और शहीद की नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़ नहीं। अलबत्ता जायज़ है के नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये। क्योँ के वो दुआ है और नमाज़े जनाज़ा फ़र्जे किफाय है। **(शेख अल्बानी)**

69. फासिख व फाजिर, जानी और शराबी की नमाज़े जनाज़ा पढनी जायज़ है। अलबत्ता ज़ेरे असर आलिम ना पढाये, कोई और पढाये ताके अदब सिखलाया जाए। **(अल जनायेज़:110, सहीह)**

70. इसी तरह खर्जदार की नमाज़े जनाज़ा ज़ेरे असर ना पढाये, अलबत्ता कोई दूसरा पढाये। **(बुखारी:2289)**

71. तीन अवखात में नमाज़े जनाज़ा पढना मना है, पहला जब सूरज तुलू होने लगे, दूसरा ज़वाल के वख्त जब दोपहर हो, हत्ता के सूरज ढल जाए, तीसरा जब सूरज घुरूब होने लगे, हत्ता के पूरी तरह घुरूब हो जाए। **(मुस्लिम:831)**

**तदफ़ीन के मसायेल**

72. एक मुसलमान के दुसरे मुसलमान पर छ हख है, उनमे ये है :  
मरीज़ की इयादत और **इत्बा** जनाज़ा।

73. तद्फ़ीन वाजिब है। **(बुखारी:3976)**

74. नमाज़े जनाज़ा पढने के बाद तद्फ़ीन तक साथ रहने का सवाब दो बड़े पहाड़ो (उहद) के बराबर है। **(बुखारी:1325)**

75. **बध्ली** खरीब **(लहद)** बनाना अफ़ज़ल है। **(मुस्लिम:966)**

76. खबर में कुछ ईंटे इस्तेमाल करनी चाहिए। **(मुस्लिम:966)**

77. खबर फराघ, गहरी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। **(सहीह तिरमिज़ी:1713)**

78. बवख्त ज़रूरत एक खबर में एक से ज्यादा मय्यिते दफ़न की जा सकती है। **(सहीह तिरमिज़ी:1713)**

79. मय्यित को पाँव की तरफ से खबर में उतारना सुन्नत है। **(सहीह अबू दावूद:3211)**

80. खरीब तरीन अज़ीज़ मय्यित को खबर में उतारनी चाहिए। **(अहकाम उल जनाज़ा:186)**

81. खाविंद अपनी बीवी की मय्यित खबर में उतार सकता है। शर्त ये है के उस रात हम बिस्तारी ना किया हो। **(सहीह इब्ने माजह:1206)**

82. मय्यित खबर में रखते वक़्त ये दुआ पढ़ें। **(बिस्मिल्लाही व अला मल्ला रसूलुल्लाह ﷺ)** **(सहीह इब्ने मजाह:1270)**

83. खबर पर तीन मुठ्ठी मिट्टी डालना सुन्नत है, लेकिन साथ में "मिन्हा खलखनाकुम" वग़ैरा पढना खिलाफे सुन्नत है। **(सहीह इब्ने माजह:1281)**

84. मय्यित को खबर में सीधे पहलू पर लेटाया जाए, चेहरा खिब्ला रुख हो, सर खिबले के सीधे जानिब और पैर खिबले के बाये जानिब।

85. खबर की शकल को **हाँ** नुमा होनी चाहिए। **(बुखारी:1390)**

86. खबर ऊंची बनाना, पक्की बनाना या खबर पर मज़ार या किसी किसम की तामीर करना मना है। **(मुस्लिम:970)**

87. खबर पर नाम, तारीखे वफात या कोई और चीज़ लिखना मना है। **(सहीह तिरमिज़ी:1052)**

88. खबर पर अलामत के तौर पर पत्थर वगैरा रखना दुरूस्त है। **(सहीह इब्ने माजह:1277)**

89. रात के वक़्त तदफ़ीन दुरूस्त है। **(बुखारी:1340)**

90. तदफ़ीन के दौरान किसी आलिमे दीन को लोगो के दरमियान बैठ कर फिकर ए आखिरत की तलखीन करनी चाहिए। **(सहीह अबू दावूद:4753)**

91. खबर में गुलाब का पानी नहीं छिड़कना चाहिए।

92. सर के नीचे तकिया या उस जैसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए।

93. पानी को सर की तरफ से खबर के ऊपर छिड़कना और सारी खबर पर डालते हुए आखिर में बचा हुआ पानी दरमियान में डालना और उसका पाबंदी से एहतेमाम करना सुन्नत से साबित नहीं है। **(किताब उल जनायेज़:319, शेख अल्बानी)**

94. तदफ़ीन के बाद मय्यित से सवाल जवाब होते हैं। **(बुखारी:1374)**

95. मय्यित दफनाने के बाद खबर के खरीब खड़े होकर मय्यित के सवाल जवाब में साबित खदम रहने **कि** दुआ करनी चाहिए और **तल्खीन करना ग़लत है। (सहीह अबू दावूद:3211)**

96. अज़ाबे खबर बर हख है। **(बुखारी:1373)**

97. अज़ाबे खबर से पनाह मांगना मसनून है। **(बुखारी:1372)**

98. मय्यित को सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। **(बुखारी:1379)**

99. मुसलमानों का खबरसतान हमवार करना या **मुन्हदिम** करना मना है। **(सहीह अबू दावूद:3207)**

100. मोमिन मुर्दे के आज्ञा वगैरा तोड़ना या काटना मना है। **(सहीह अबू दावूद:3207)**

101. ज़ियारते खबर के वख्त पहले सलाम कहना, उसके बाद दुआ करना और फिर इस्तेघ्फार करना मसनून है।

**अस्सलामु अला अह्लिदियारि मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इन शा अल्लाहु अला हिखूना अस अलुल्लाह लना वलकुम अल आफियह। (मुस्लिम:975)**

तरजुमा : सलामती हो मुसलमानों और मोमिनो के ठिकानों में रहने वालो पर, और हम इन शा अल्लाह ज़रूर (तुम्हारे साथ) मिलने वाले है, मै अल्लाह ताला से अपने और तुम्हारे लिए आफियत माँगता हूँ।

102. अहले खुबूर के लिए दुआ करते वख्त अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। **(मुस्लिम:975)**

